राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

द्वितीय एवं तृतीय तल , ब्लॉक–5, डॉ0 राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17
www.rajsmsa.nic.in
फोन नं: 0141–2715560 email- rajsmsaied@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प. / जय / आईईडी / 2019–20 / 5305 दिनांक 30/8/19

दिशा–निर्देश

(सत्र 2019–20)

विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु एस्कॉर्ट भत्ता (Escort Allowance)

अवधारणा एवं उद्देश्य–

राज्य में समग्र शिक्षा अभियान के समावेशित शिक्षा अन्तर्गत कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को मुख्यधारा में समायोजन, समाज में इनके प्रति सकारात्मक सोच का निर्माण, भेदभाव को रोकने, उनकी अन्तर्निहित योग्यताओं को बढाकर उत्साहवर्द्धन करने, इनके अधिकारों एवं क्षमताओं के बारें में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से समावेशित शिक्षा अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन द्वारा उन्हें चिकित्सकीय, कियात्मक, शैक्षिक एवं थैरेपिक संबंलन प्रदान कर उनकी अन्तर्निहित क्षमताओं का विकास किया जाता है। राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं का नामांकन, ठहराव एवं शैक्षणिक गुणवत्ता अभिवृद्धि हेतु एस्कॉर्ट भत्ता देय होता है।

वार्षिक कार्य योजना सत्र 2019–20 के अन्तर्गत एस्कॉर्ट भत्ता हेतु अप्रेजल उपरान्त राज्य के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत **13584** विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं हेतु **543.360** लाख रू का प्रावधान है। **सत्र 2019–20 में भी गत वर्ष 2018–19 के अनुसार ही** निम्नानुसार एस्कॉर्ट भत्ता उपलब्ध कराया जाना है:–

1. Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित राजकीय विद्यालयों के अध्ययनरत वे बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय व विद्यालय से घर बिना किसी व्यक्ति की सहायता से पहुँच पाने में असमर्थ है के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता।
   - " Under section 16 (viii) of Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 provision is made, "provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs." Some

children with special needs are having high support needs and could not reach their school without support. To provide support to these children there should be provision of escort allowance for their escort."

2. **पात्रता :–**

- Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 अन्तर्गत परिभाषित 21 श्रेणियों के विकलांगता यथा अस्थि, दृष्टिदोष, श्रवणदोष, मानसिक विमन्दित व सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑटिज्म इत्यादि से ग्रसित 40 प्रतिशत या इससे अधिक दोष से ग्रसित <u>बालक–बालिकाएं जो घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक अकेले (बिना किसी व्यक्ति की सहायता से) पहुँच पाने में असमर्थ है,</u> अर्थात् इन्हें घर से विद्यालय एवं विद्यालय से घर तक इनके अभिभावक द्वारा ही लाया ले जाया जाता है तथा जिन्हें सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किया गया है। इन बच्चों के अभिभावकों को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है।
  - अवधि :– 10 माह
  - राशि :– ₹ 400/–प्रति माह

3. **एस्कॉर्ट भत्ता हेतु बच्चों का चयन –**

- एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान दिये जाने हेतु समस्त जिला परियोजना समन्वयक माह अगस्त, 2019 में जिले के समस्त ब्लॉक के पीईईओ/सीबीईओ के माध्यम से समस्त राजकीय विद्यालयों के संस्था प्रधानों से संलग्न प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित करेंगे।
- प्राप्त आवेदन पत्रों मे से चयन हेतु निम्नानुसार कमेटी गठित की जाएगी।

1.	डीपीसी	–	अध्यक्ष
2.	एडीपीसी	–	सदस्य सचिव
3.	समावेशित शिक्षा प्रभारी.	–	सदस्य
4.	सहायक लेखाधिकारी	–	सदस्य
5.	संदर्भ व्यक्ति (समावेशित शिक्षा)	–	सदस्य

- उक्त कमेटी समस्त आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए समस्त पात्र बच्चों का चयन कर एस्कॉर्ट भत्ता जारी किए जाने की अनुशंषा करेगी।
- **समय पर राशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने बाबत चयनित बालक–बालिकाओं हेतु 5 माह की निर्धारित राशि जिला परियोजना समन्वयक द्वारा निम्नानुसार संबंधित SMC/SDMC को विस्तृत व स्पष्ट निर्देशों के साथ अग्रिम भिजवानी होगी, जिससे बालक–बालिकाओं को प्रतिमाह राशि प्राप्त हो सके।**

माह का नाम जिसमें एसएमसी/एसडीएमसी को अग्रिम राशि जारी करनी है।	माह जिनके लिए एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान किया जाना है।
अगस्त 2019	जुलाई, अगस्त, सितम्बर अक्टूबर, नवम्बर (5 माह)
नवम्बर, 2019	दिसम्बर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रेल (5 माह)

- एस्कॉर्ट भत्ते का भुगतान प्रतिमाह उपस्थिति के आधार पर किया जाएगा। 50 प्रतिशत उपस्थिति से कम पर भत्ता देय नहीं होगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग (समाज कल्याण) अथवा अन्य किसी योजना से जिन बालक–बालिकाओं को उक्त राशि प्राप्त हो रही है, उन बच्चों को यह राशि देय नहीं होगी।
- जिलों को आवंटित लक्ष्यानुसार उक्त राशि का भुगतान जिले के **समावेशित शिक्षा के** उपमद **" Escort Allowance"** में आंवटित राशि में से व्यय किया जायेगा।
- उक्त भत्तों का भुगतान संबंधित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक की उपस्थिति प्रमाणित करने के पश्चात् किया जाएगा जिसकी सूचना सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा सम्बन्धित सीबीईओ को तथा सम्बन्धित सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी एवं एडीपीसी को प्रेषित की जायेगी।

विशेष बिन्दु :–

1. **जिला स्तर से प्रेस विज्ञप्ति जारी कर जिला कलक्टर, जिला परिषद्,, मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों एवं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं महिला बाल विकास विभाग आदि विभिन्न विभागों के नोटिस बोर्ड पर सूचना लगाई जावे व व्यापक प्रचार प्रसार किया जावे जिससे अधिकाधिक पात्र बच्चों को लाभ मिल सके।**
2. जिले के पात्र सभी विशेष आवश्यकता वाले बालक–बालिकाओं को एस्कॉर्ट भत्ता दिया जाना है परन्तु, यदि बजट की अनुपलब्धता के कारण सभी पात्र बालक–बालिकाओं को भत्ता दिया जाना संभव नही हो पाता है तो समावेशित शिक्षा की किसी भी गतिविधि में से बचत की राशि से इन्हें भत्ता दिये जाने हेतु ***Re-appropriation*** के प्रस्ताव जिला परियोजना समन्वयक अविलम्ब परिषद् कार्यालय के समावेशित शिक्षा अनुभाग को भिजवाएंगे।
3. एस्कॉर्ट भत्ता मद में जिलें को आंवटित राशि की सीमा में भौतिक लक्ष्य से अधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सकेगा। वित्तीय लक्ष्यों में कोई परिवर्तन नहीं हो सकेगा।
4. एस्कॉर्ट भत्ता का भुगतान परिपत्र में दर्शाये अनुसार प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा उपस्थिति आदि प्रमाणित कर निर्धारित प्रक्रिया सम्पादित करते हुए संबंधित बालक–बालिका के बैंक खाते में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा जमा करवाया जायेगा।
5. नवीन पात्र CWSN बालक–बालिकाओ के जीरो बैलेंस खाते सम्बन्धित प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा प्राथमिकता के आधार पर खुलवाये जायेंगे तथा सम्बंधित बालक–बालिकाओं के **बैंक खाते में**

एस्कॉर्ट भत्ता जमा कराने के उपरान्त उसी माह में एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा अनिवार्य रूप से उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित पीईईओ/सीबीईओ तथा सीबीईओ द्वारा सीडीईओ पदेन डीपीसी को प्रेषित किया जायेगा।

6. प्रतिमाह किये जाने वाले भुगतान की जानकारी प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य द्वारा बालक–बालिकाओं के चयन व परिवहन व्यवस्था के आदेश के साथ ही एसएमसी/एसडीएमसी को देनी होगी।
7. समस्त व्यवस्था पात्र बालक–बालिका/संरक्षकों की सहमति से व एसएमसी/एसडीएमसी को सूचना देकर पारदर्शी तरीके से कराई जायेगी।
8. बालक–बालिकाओं/अभिभावकों की मांग पर एसएमसी/एसडीएमसी द्वारा एक ही रास्ते से आने वाले बच्चों के लिए एस्कॉर्ट हेतु स्थानीय साधनों की उपलब्धता के आधार पर सामूहिक परिवहन की व्यवस्था की जायेगी। उक्त कार्य में अन्य शिक्षकों एवं अभिभावकों का सहयोग लिया जाना अपेक्षित है।
9. सामूहिक परिवहन व्यवस्था मितव्यता के साथ की जावें जिससे कि अधिकाधिक बच्चों को लाभान्वित किया जा सके।
10. सामूहिक परिवहन व्यवस्था में वाहन मालिक को राशि का भुगतान बच्चों के अभिभावकों द्वारा ही किया जायेगा।
11. परिवहन भत्ता हेतु कोई न्यूनतम दूरी की बाध्यता नहीं है।
12. **पात्र CWSN बालक–बालिकाओं की तथा उनको देय परिवहन भत्ते की सूचना पीएमएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपडेट करें। बालक–बालिकाओं की सूचना अपडेट करने के बाद एस्कॉर्ट भत्ते वाला आप्शन भी आवश्यक रूप से क्लिक करें अन्यथा दिये जाने वाले परिवहन भत्ते की प्रगति पोर्टल पर प्रदर्शित नही होगी।**

29.8.19
(डॉ. एन. के. गुप्ता)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/आईईडी/19–20/ 5305 दिनांक : 30/8/19

प्रतिलिपि :–निम्न को सूचनार्थ प्रस्तुत है :–
1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षामंत्री महोदय, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
4. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
5. निजी सचिव/सहायक, निदेशक, प्रारम्भिक/माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर।
6. निजी सहायक, अति. राज्य परियोजना निदेशक, (I & !!) राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
7. निजी सहायक, वित्त नियत्रंक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
8. उपायुक्त (प्लान), राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. समस्त अतिरिक्त जिला परियोजना समन्चयक, समग्र शिक्षा अभियान।
11. रक्षित पत्रावली।

29/8/19
(हरभान मीणा)
अति0 राज्य परियोजना निदेशक

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

एस्कॉर्ट भत्ता हेतु आवेदन पत्र

फोटो

1. नाम बालक / बालिका...
2. पिता का नाम...
3. जन्म तिथि.................................कक्षा..
4. स्थानीय पता...
5. एस.आर. न0...दोष का प्रकार एवं प्रतिशत................................
6. नोडल / पीईईओ...ब्लॉक...
7. विद्यालय...डाईस कोड़..
8. घर से विद्यालय की दूरी...
9. आधार कार्ड नम्बर..
10. खाता संख्या...IFSC Code....................................
11. बैंक का नाम...
12. वाहन का प्रकार जिससे विद्यालय आने व जाने की व्यवस्था की जा सकती है।
13. क्या अन्य पात्र बच्चों के साथ वाहन का साझा उपयोग हो सकता है। यदि हाँ, तो बच्चों का

    नाम..
14. अनुमानित प्रति माह व्यय राशि...
15. क्या बालक–बालिका घर से विद्यालय तक अकेले आने में असमर्थ है ? यदि हाँ, तो कारण व

    किसके द्वारा विद्यालय तक लाया ले जाया जाता है ....

    ....

हस्ताक्षर अभिभावक **ह0 छात्र / छात्रा**

संस्था प्रधान द्वारा प्रमाणीकरण

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त समस्त तथ्य मेरी जानकारी में सत्य है एवं बालक / बालिका.. उक्त विद्यालय की कक्षा.......................... में अध्ययनरत है तथा उक्त बालक / बालिका को ₹..........................प्रतिमाह एस्कॉर्ट भत्ता प्रदान किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

हस्ताक्षर

प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य
मोहर सहित

कार्यालय उपयोग हेतु

उक्त समस्त तथ्यों की जांच के पश्चात् छात्र / छात्रा.. पुत्र / पुत्री श्री..विद्यालय...को एस्कॉर्ट भत्ता ₹ .... प्रतिमाह दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

हस्ताक्षर

नाम पद सहित..............

एस्कॉर्ट भत्ता
जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

S.N.	Name of the district	Elementary-Escort Allowance		Secondary-Escort Allowance	
		PHY	FIN	PHY	FIN
1	AJMER	570	22.800	155	6.200
2	ALWAR	599	23.960	195	7.800
3	BANSWARA	225	9.000	35	1.400
4	BARAN	266	10.640	20	0.800
5	BARMER	450	18.000	52	2.080
6	BHARATPUR	450	18.000	50	2.000
7	BHILWARA	600	24.000	100	4.000
8	BIKANER	174	6.960	28	1.120
9	BUNDI	250	10.000	50	2.000
10	CHITTAURGARH	300	12.000	15	0.600
11	CHURU	300	12.000	50	2.000
12	DAUSA	300	12.000	51	2.040
13	DHAULPUR	288	11.520	30	1.200
14	DUNGARPUR	80	3.200	40	1.600
15	GANGANAGAR	550	22.000	65	2.600
16	HANUMANGARH	360	14.400	45	1.800
17	JAIPUR	1000	40.000	200	8.000
18	JAISALMER	236	9.440	28	1.120
19	JALOR	260	10.400	40	1.600
20	JHALAWAR	220	8.800	50	2.000
21	JHUNJHUNU	350	14.000	35	1.400
22	JODHPUR	375	15.000	75	3.000
23	KARAULI	200	8.000	30	1.200
24	KOTA	180	7.200	35	1.400
25	NAGAUR	500	20.000	90	3.600
26	PALI	465	18.600	12	0.480
27	PRATAPGARH	240	9.600	25	1.000
28	RAJSAMAND	425	17.000	40	1.600
29	SAWAI MADHOPUR	350	14.000	25	1.000
30	SIKAR	184	7.360	16	0.640
31	SIROHI	450	18.000	80	3.200
32	TONK	200	8.000	10	0.400
33	UDAIPUR	365	14.600	50	2.000
Total		**11762**	**470.480**	**1822**	**72.880**

D/ramesh/pariptra/2019-20/